रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-टी.एल.-अ.-02052024-254010 CG-TL-E-02052024-254010

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1790]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946

No. 1790]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

रेल मंत्रालय (दक्षिण मध्य रेलवे) अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 मई, 2024

का.आ. 1882(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा, "हसनपर्ती रोड - उप्पल स्टेशनों के बीच एलसी नंबर 08 के स्थान पर आरओबी का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. CW.Dy.CE/GS/SC/ROB/08/37A]

डी. सुब्रमण्यम, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशक्ति)

2856 GI/2024 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 2nd May, 2024

S.O. 1882(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of ROB in lieu of LC No.08 between Hasanparti Road - Uppal stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Hanumakonda for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CW.Dy.CE/GS/SC/ROB/08/37A]

D. SUBRAHMANYAM, Chief Project Manager/Gatishakti